

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 2 (21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/1027
मिटींग स्थगित की सूचना

दिनांक 6/15

विभाग का मिटींग नोटिस क्रमांक एफ 2 (21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/10648 दिनांक 08.05.2015 द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 26 (1) के क्रम में माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 2 जून 2015 को 11.00 बजे शासन सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन कमरा नम्बर 19 में आयोजित की जाने वाली बैठक निर्देशानुसार अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

अतिरिक्त निर्देशक
(SCSP)

क्रमांक एफ 2 (21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/1028-59 दिनांक 1/6/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राष्ट्रीय, सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह/वित्त/पंचायतीराज/स्वायत्त शासन / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त समिति सदस्य श्री/श्रीमती
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह/वित्त/पंचायतीराज/स्वायत्त शासन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम, रेलवे, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
10. अध्यक्ष, राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. अध्यक्ष, राज्य, अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान, जयपुर।
13. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति दुर्गापुरा, जयपुर।
14. निजी सचिव, निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. महाप्रबन्धक, अनु. जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर।
17. ACP, मुख्यावास, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड कराते हुए सम्बन्धित को ई-मेल करावें।
18. केयर टेकर शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक पर बैठक हेतु मंत्रालय में कक्ष आरक्षित करने एवं आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
19. गार्ड फाईल

अतिरिक्त निर्देशक
(SCSP)